International Journal of Humanities and Social Science Research
www.socialsciencejournal.in
ISSN: 2455-2070
Received: 11-08-2021, Accepted: 26-08-2021, Published: 11-09-2021
Volume 7, Issue 5, 2021, Page No. 8-11

उत्तराखण्ड़ में बढ़ता युवा अपराध का समाजशास्त्रीय अध्ययन (उधम सिंह नगर जिले के संदर्भ में)

Ravender Singh
Research Scholar (Sociology), R.H. Govt. P.G. College Kashipur, Uttarakhand, India

सारांश
समाज में अपराध एक सार्वभौमिक एवं सार्वकालिक घटना है। अपराध की दर एवं उसकी प्रकृति में समय के साथ परिवर्तन परिलक्षित अवश्य होते आये हैं, लेकिन ऐतिहासिक साक्ष्यों क आधार पर यह स्पष्ट होता है कि ऐसा कोई समाज नहीं रहा है, जिसमें अपराध न पाया जाता हो। यह मानव की एक स्वभाविक प्रवृत्ति है, लेकिन जब असामाजिक कार्य की दर सामाजिक विकास में बाधक बन जाती है तब यह एक समस्या का रूप तक धारण करती है। आज के दौर में जबकि उपभोक्तावादी संस्कृति का प्रभाव समाज के हर वर्ग पर स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है, असामाजिक कृत्य समाज के लिए एक गंभीर चुनौती बन गयी है। राष्ट्रीय स्तर पर कारित हो रहे अपराधिक कृत्यों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट प्रतीत होता है कि इस प्रकार के कृत्यों में युवाओं की संलिप्तता सर्वाधिक है। युवा शक्ति समाज एवं राष्ट्र के विकास का आधार है। इसकी दिशा ही समाज एवं राष्ट्र की उन्नति एवं अवनति का निर्धारण करती है। यही कारण है कि आज यह न केवल समाज बल्कि सरकार एवं समाज वैज्ञानिकों के लिए भी गंभीर विचारनीय मुद्दा बन गया है। इन्हीं महत्व को आधार मानकर प्रस्तुत शोध पत्र का आलेखन किया गया है।

मूल शब्दः सृष्टि, मूल्य, परंपरा, प्रागैतिहासिक, आदर्श, मान्यता, मनोवृत्ति, नैतिकता

प्रस्तावना
मानव सृष्टि की अद्भुत रचना है। प्रत्येक मनुष्य की अपनी एक सोच होती है। यह सोच ही समाज में उसके व्यवहार का निरूपण करती हैं कुछ लोग तो पूर्व निर्धारित सामाजिक–सांस्कृतिक मूल्यों के अनुरूप व्यवहार प्रकट में विश्वास रखते हैं। किन्तु प्रत्येक समाज में कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं, जो इन नियमों में या तो विश्वास नहीं रखते या फिर जान–बूझकर उन्हें महत्व नहीं देते। ऐसी स्थिति में, ऐसे व्यक्ति जैसा भी व्यवहार करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, वह समाज द्वारा निर्धारित एवं अपेक्षित मान्यताओं के विपरीत होता है। इससे समाज के सामने स्वाभाविक रूप से कुछ ऐसी दशायें उत्पन्न हो जाती हैं, जिन्हें सामाजिक–सांस्कृतिक नियमों और मूल्यों में विश्वास रखने वाले व्यक्ति हानिकारक, सामाजिक संगठन के विरूद्ध और समाज के लिये घातक मानते हैं। इस प्रकार की दशायें व्यक्ति के व्यक्तित्व, परिवार, समुदाय या फिर सम्पूर्ण समाज को विघटित कर सकती हैं।
अपराध भारत में पाई जाने वाली विभिन्न सामाजिक समस्याओं में से एक है। अन्य समस्याओं के विपरीत यह समस्या अपेक्षाकृत एक नवीन समस्या है। युवा अपराधों पर किए गए अध्ययनों से यह तथ्य उभर कर सामने आया है कि यह प्रवृत्ति दुनिया के लगभग सभी देशों में बढ़ रही है। संचार के साधनों ने युवाओं का ध्यान इस समस्या की ओर आकृष्ट किया है जिसके परिणामस्वरूप न केवल जनसाधरण, राजनेता, प्रशासक इत्यादि ही अधिक सचेत हो गए हैं, अपितु समाज वैज्ञानिकों ने भी युवा अपराधिक व्यवहार को समझने के गहन प्रयास प्रारम्भ कर दिए हैं। प्रस्तुत अध्ययन इस दिशा में किया गया एक प्रयास है।

अपराध की सामाजिक व्याख्या
समाज के कुछ मूल्य होते है, जो सामाजिक रूढ़ियों, प्रथाओं और परम्पराओं पर आधारित होते है, जिनका उद्देश्य समाज का कल्याण ही होता है, जिनको परिपूर्ण करने हेतु कुछ विधान बनाये जाते हैं। जब इन्हीं प्रथाओं–परम्पराओं को भंग किया जाता है तो उसे सामाजिक अपराध की कोटि में गिना जाता है।

अपराध की व्यवहारिक व्याख्या
मानव व्यवहार सामान्य और असामान्य प्रकार से स्वीकार किये जा सकते है। अतः अपराध वह क्रिया है, जिसमें सामान्य व्यवहार के प्रतिमान में विचलन उत्पन्न होता है। इस प्रकार सामाजिक व्यवहारों के विरूद्ध किया गया कार्य अपराध की कोटि में माना जाता है। व्यावहारिक व्याख्या में सामूहिक अवरोध का भी पर्याप्त महत्व है। यह वह स्थिति है, जो कुछ क्रियाओं की स्वीकृति ओर कुछ को अस्वीकृति प्रदान करती है, जिसके आधार स्वरूप अपराधों का निर्धारण किया जा सकता है।

भारतीय दण्ड संहिता के अनुसार अपराध का वर्गीकरण
भारतीय दण्ड संहिता में अपराध का वर्गीकरण सांख्यिकीय आधार पर ही किया गया है। यह वर्गीकरण अपेक्षाकृत व्यापक एवं उपयुक्त है, जिसमें सभी प्रकार के अपराधों के उचित रूप से रखा जा सकता है।

तलिका 1

1	2	3	4	5	6	7
मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध	**सम्पत्ति के विरूद्ध अपराध**	**लेख सम्बन्धी अपराध**	**मस्तिष्क को प्रभावित करने वाले अपराध**	**लोक शान्ति के विरूद्ध अपराध**	**राजकीय सेवकों के अपराध**	**राज्य के विरूद्ध अपराध**
मानव हत्या	चोरी	जालसाजी	मानहानि	गैर कानूनी संघ की स्थापना करना	भारतीय दण्ड संहिता के अनुसार यदि कोई सेवक या	संहिता के अनुसार भारतीय गणराज्य के अस्तित्व को खतरा

भ्रूण हत्या	डकैती ओर लूटपाट	गलत व्यापार चिन्हों का प्रयोग	अपराधिक धमकी	सार्वजनिक स्थान पर अशान्ति उत्पन्न करना	राजकीय व्यक्ति अनुचित तरीकों और विधियों से किसी प्रकार की भेंट उपहार और रिश्वत प्राप्त करता है अथवा कोई गैर–कानूनी कार्य करता है अथवा किसी भी प्रकार का अन्य व्यवसाय सेवा की अवधि में करता है, तो वह अपराधी माना जायेगा	उत्पन्न करना, इसके विरूद्ध षड्यंत्र रचना, राजद्रोह या देशद्रोह करना, गृहयुद्ध करना, जाल नोट छापना, डाक टिकट को बनाना तथा देश के खुपिया रहस्य विदेशों में भेजना आदि
शारीरिक चोट	धोखाधड़ी करना	गलत सम्पत्ति चिन्हों का प्रयोग		वर्ग संघर्ष उत्पन्न करना		
अनुचित प्रतिरोध तथा बन्धन	अपराधिक न्यास भंग	जाली नोट छापना		जुआघर		बाल मजदूरी
अपराधिक बल प्रयोग	अपराधिक अपयोजन			लॉटरी		दहेज प्रथा
आक्रमण	चोरी का माल खरीदना			अनैतिक स्थलों का निर्माण		दबंगता
अपहरण	कपट					गाली गलौज
बलात्कार						मानसिक प्रताड़ना
अप्राकृतिक अपराध						

अपराध के कारण

मानव समाज में अपराध का शाश्वत अवधारणा हैं। प्रागैतिहासिक काल से ही मानव समूहों में यह किसी न किसी रूप में विद्यमान रहा है। जनजीवन का अध्ययन करते हुए लगभग सभी मानवशास्त्रियों, अपराधशास्त्रियों एवं मनोवैज्ञानिकों ने इस अवधारणा को पुष्ट किया है। दुर्खीम ने कहा है कि, संसार में अपराधरहित समाज पूर्णतया असंभव है। यहाँ तक कि सन्तों का समाज भी अपराध विहीन नहीं होता है। उनके शब्दों में, एक सन्तों के समाज की कल्पना कीजिये जो आदर्श व्यक्तियों का एक समूह हो। ऐसे समाज के लोग भले ही अपराध से अपरिचित हो किन्तु वहाँ सामान्य व्यक्तियों के कुछ ऐसे दोष प्रकट हो जाएंगे। भारतीय स्मृतियों में कहा गया है कि आदिकाल मानव समाज में व्यक्ति का आचरण एवं व्यवहार धर्म द्वारा नियन्त्रित था। महाभारत में इस स्थिति का वर्णन करते हुये कहा गया है–

''नैव राज्यं राजासीत् न दण्ड़ो न च दण्डिकः । धर्मेणेव प्रजाः सर्वाः रक्षन्ति स्म परस्परम् ।।

जनसंख्या वृद्धि के साथ लोगों में आपस में अधिकारों के लिए झगड़े होने लगे और तभी अपराध और दण्ड की व्यवस्था बनायी गयी। मनु ने लिखा है कि, सतयुग में धर्म अपनी पूर्णता के साथ विद्यमान था, किन्तु आगे चलकर चोरी, झूठ एवं धोखाधड़ी के कारण क्रमशः तीनों युगों – त्रेता, द्वापर एवं कलयुग में धर्म की अवनति होती चली गयी। जब मनुष्य में धर्म का ह्रास होने लगा तब न्याय और दण्ड का प्रवर्तन हुआ।

''धर्मेकतानाः पुरूषा यदासन सत्यवादिनः । त्दा न व्यवहारोज्भून्न दोषो नायि मत्सरः ।।
नष्टे धर्मे मनुष्याणां व्यवहारः प्रवर्तने । दृष्टा च व्यवहाराणां राजा दण्डधरः स्मृतः ।।

सामाजिक दृष्टि से प्रायः इस प्रकार का असामान्य व्यवहार अर्थात् समाज विरोधी कार्य अपराध हैं ऐसे सभी कार्यो को जिनसे सामाजिक नियमों, कानूनों एवं आदर्शों का उल्लंघन हो तथा जिनके फलस्वरूप सामाजिक एवं वैधानिक जीवन संकट में पड़ जाये तो किसी भी राज्य या समाज द्वारा सहन नहीं किया जा सकता है। अपराध समाज के लिये एक समस्या है। अपराध की अवधारणा सामाजिक परिस्थितियों एवं समय के साथ–साथ बदलती रहती है। अपराध समाज की तरह एक अमूर्त धारणा है लेकिन कोई भी ऐसा समाज नहीं जिसमें किसी न किसी रूप में प्रत्येक काल में अपराध विद्यमान न रहा हो। इसलिए इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता कि एक काल्पनिक एवं मिथ्या समाज को छोड़कर अपराध को बिल्कुल मिटाया नहीं जा सकता।

किसी भी प्रकार के अपराध करने के पीछे कोइ न कोई कारक अवश्य ही जिम्मेदार होते हैं। जिसमें आवश्यकता मजबूरी, मानसिकता, परिस्थिति, हीन भावना, बेरोजगारी, आर्थिक तंगी, व्यसन आदि कहीं न कहीं कथित तौर पर जिम्मेदार होते हैं, भारत जैसे विशाल देश में एक तरफ तो जनसंख्या की विकराल होती भयावहता तथा दूसरी तरफ बढ़ता अपराध संकट पैदा करता है। जिससे न सिर्फ देश को आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ सकता बल्कि आने वाले समय में लोगों का घर से निकलना मुश्किल प्रतीत होगा। यह होड़ थमने का नाम नहीं ले रही है। समस्या की जड़ में जाकर अगर देखा जाए तो समूची मनुष्यता ही इस हेतु जिम्मेदार प्रतीत होता है। देश ने आर्थिक उन्नति खूब की परन्तु प्रशासनिक दबाव एवं अपराध की रोकथाम में आज भी हम बहुत पीछे है। संविधान में वर्णित धाराओं को यदि सही तरीके से लागू कर दिया जाए और कड़ाई से कानून पालन हो तो शायद आशा की किरण हमारे भारतीय समाज को देखने को मिल सकती है।

अपराध के कारणों को निम्न सारणी (चार्ट) के माध्यम से देख सकते हैं।

तलिका 2

1	2	3	4
जैविकीय करण	**मनोवैज्ञानिक कारण**	**आर्थिक कारण**	**समाजिक कारण**
आयु	मानसिक हीनता	निर्धनता	सामाजिक कुरीतियाँ
लिंग	चरित्र हीनता	व्यापार चक्र	समाजिक विघटन
वंशानुक्रमागत	भावात्मक अस्थायित्व	बेरोजगारी	शिक्षा, चलचित्र, फैशन
शारीरिक भिन्नता	हीनता की भावना	अकाल	भ्रष्टाचार, पुलिस , न्यायालय
शारीरिक विकास	अव्यवस्था	धन का असमान वितरण	युद्ध
कमजोरी		व्यावसायिक मनोरंजन	गंदी बस्तियाँ

उपरोक्त चार्ट में वर्णित सभी कारण किसी न किसी रूप में अपराध को बढ़ावा देने में सहयोगी सिद्ध होते है। अपराध एक ऐसी भयावह प्रवृत्ति है, जिसका न कोई जाति, वंश, समाज, धर्म, सम्प्रदाय, लिंग, भाषा, वेशभूषा नहीं होती है।

शोध अध्ययन

अपराध विषय बहुत ही व्यापक है, जिस पर शोध अत्यन्त कठिन कार्य है। विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत तहसील काशीपुर, तहसील बाजपुर, तहसील रूद्रपुर, तहसील गदरपुर, तहसील पंतनगर के 250 उत्तरदाताओं से अनुसूची के माध्यम से अपराध विषय पर 15 प्रश्न पूछे गये। शोध कार्य में पाया गया कि अपराध किसी न किसी रूप में विद्यमान जरूर है। उत्तरदाताओं से जो तथ्य निकलकर सामने आये उनको विधिवार प्रस्तुत किया जा रहा है।

1. अध्ययन में सम्मिलित अधिकांश उत्तरदाता 90ः की मान्यता थी कि अशिक्षा व वैचारिक भिन्नता के कारण ग्राम में प्रायः छोटे अपराध ज्यादा होते हैं।
2. अध्ययन में सम्मिलित 93ः उत्तरदाताओं के अनुसार जुएँ के रूप में ताश खेली जाती है, जो कभी –कभी आर्थिक व छोटी मारपीट का रूप ले लेती है।
3. शोध अध्ययन में सम्मिलित 33ः लोगों ने स्वीकार किया कि ग्राम में उच्च वर्गो जैसे सरपंच, ग्राम प्रधान, आदि दबगता दिखाकर निम्न वर्ग को मानसिक रूप से प्रताडित करते हैं।
4. जनसंख्या की दृष्टि से बड़े गांव में भू–माफियों द्वारा जबरन भूमि पर कब्जा करने की वारदातें पाई गयी।
5. शोध अध्ययन में सम्मिलित 80ः उत्तरदाताओं ने उक्त प्रकृति के अपराधों को व्यवहारिक रूप से दृष्टिगत पाया है। ग्रामीण व शहरी इलाकों में अपराध प्रवृत्ति में अन्तर पाया गया। गॉव में सबसे ज्याद पाये गये अपराधों में बाल मजदूरी, साधारण मारपीट, गाली–गलोज, भूमाफिया, पशुचोरी, शहरी क्षेत्र में हत्या, हत्या का प्रयास, बलात्कार, खूनी संघर्ष, भ्रूण हत्या आदि हैं।
6. दहेज प्रथा गॉव/शहरी क्षेत्रों में समान रूप से पाई गयी। शोध अध्ययन में सम्मिलित 30ः उत्तरदाताओं ने बढ़ते भौतिकतावाद के प्रभाव के कारण महिला के प्रति आर्थिक अपराध और दहेज प्रताड़ना के मामलों में वृद्धि होना बताया है।
7. शोध अध्ययन में सम्मिलित 70ः उत्तरदाताओं के अनुसार ग्रामीण कृषि क्षेत्र में बंधुवा मजदूरी पाई गयी, जिसको हली एवं गुवाल नाम दिया जाता है। उनसे समय पर कार्य नहीं करने पर ब्याज एवं दण्ड का प्रावधान पाया गया।
8. शोध अध्ययन में सम्मिलित 80ः उत्तरदाताओं ने बाल विवाह को गलत नहीं ठहराया उनका मानना था कि जल्दी शादी होने से माता–पिता को मानसिक शांति मिलती है तथा लड़के लड़की आवारा होने से बचते है।
9. 90ः उत्तरदाताओं का मानना था कि पुलिस का भरपूर सहयोग मिलता है, किन्तु उचित गवाह नहीं मिल पाने के कारण अपराधी छूट जाते है। पैसे वाले तथा नेता लोग मनमाने तरीके से अपराध करके आरोप मुक्त हो जाते है और पुलिस उनकी सहायता करती है।
10. शोध अध्ययन में सम्मिलित 75ः उत्तरदाताओं के अनुसार सरकारी योजनाओं में भी पर्याप्त भ्रष्टाचार देखने को मिला जो कि एक अपराध है, जिसमें इंदिरा आवास, मनरेगा, पंच मरमेश्वर, लोकनिर्माण पेयजल योजना, कृषि विपणन, सब्सिडी प्रमुख है जिसमें उन लोगों को ही लाभ मिलता है जो राजनीतिक दबदबा रखते है।
11. 70ः उत्तरदाताओं के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में जाति व वर्ण व्यवस्था आज भी प्रासंगिक है उत्तरदाताओं की मान्यता थी कि वे ग्रामीण परंपराओं के अनुसार ही लोक व्यवहार करेंगे। अस्पृश्यता भी बहुत मात्रा में देखने को मिली जो कि एक अपराध के रूप में वर्णित है। शासन द्वारा अस्पृश्यता का अंत करने के बाद भी इसकी सफलता न के बराबर है।
12. शोध अध्ययन में सम्मिलित 90ः उत्तरदाताओं ने कहा वे अपराध के बारे में जानकारी रखते हैं।

अपराध को कम करने हेतु अध्ययनगत सुझाव

1. अपराधिक मनोवृत्तियों का विशेष रूप से अध्ययन किया जाना चाहिए।
2. समाज के अस्तित्व हेतु कानून का होना अनिवार्य है। कानून के अभाव में समाज का जिन्दा रहना सम्भव नहीं है। कानून अधिकारों की रक्षा हेतु अनिवार्य है, लेकिन यह तभी सम्भव है जबकि कानून अधिकारों और कर्तव्यों की स्पष्ट व्याख्या करें।
3. आदर्श कानून यह है जिसमें समय की जरूरत के अनुसार अनुकूलन की क्षमता होनी चाहिए। समाज गतिशील है, इससे सामाजिक सम्बन्धों में भी बदलाव होते रहते हैं। कानून में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वह बदलाव के महत्व को स्वीकार करें।
4. आदर्श कानून वह है जो समानता पर निर्भर होता है। कानून के आगे धर्म, जाति, भाषा, प्रान्त, आर्थिक स्तर आदि का भेदभाव नहीं करना चाहिए।
5. कानून में नैतिकता का पुट सम्मिलित होना चाहिए। नैतिकता का व्यक्ति के व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जिससे समाज में वास्तविक नियन्त्रण बना रहता है। जब भी कानून का निर्माण किया जाए तो उस युग की नैतिक प्रवृत्तियों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए।
6. कानून व्यक्ति के व्यवहार एवं जनकल्याण पर आधारित होना चाहिए।
7. कानून प्रक्रिया इस तरह होनी चाहिए कि सामान्य जनता भी उसका लाभ प्राप्त कर सके।
8. उचित दण्ड के सिद्धान्तों पर आधारित कानून आदर्श कानून होते हैं। दण्ड का ध्येय अपराधी के मन में डर उत्पन्न करना होना चाहिए।
9. सम्पूर्ण समाज में अपराधियों के उपचार, सुधार तथा उनके सामाजिक पुर्नस्थापन की एक ठोस एवं व्यावहारिक योजना बनाइ जानी चाहिए तथा पुलिस विभाग को इसमें अपना अपेक्षित योगदान करना चाहिए।
10. समाज में जागरूकता की कमी के कारण अपराधों में वृद्धि होती है। इस लिए शासन को समय–समय पर जनता को जागरूक करना चाहिए, ताकि भ्रष्टाचार, अज्ञानता, कानून की खामियों के बारे में जानकारी होती रहें।
11. सिनेमा, रेडियो तथा दूरदर्शन पर प्रदर्शित वृत्तचित्रों और अन्य समस्याओं को इस प्रकार से प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि उनको देखकर सामान्य व्यक्ति अपराधों से घृणा अनुभव करें तथा यथा सम्भव उनसे पृथक ही रहें।
12. सरकार को शीघ्र एक कानून बनाकर पूरे देश में मद्यपान पर कड़े प्रतिबन्ध लगा देने चाहिए तथा यह भी प्रयास करने चाहिए कि विद्यार्थी वर्ग तो इनके सेवन से सुरक्षित ही रहे।
13. समाज में व्याप्त निर्धनता तथा बेरोजगारी को दूर करने लिए सरकार को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने चाहिए।
14. विद्यालयों तथा कॉलेजों में इस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे समाज में एकरूप और शान्तिप्रिय नागरिकों का निर्माण हो सके।
15. समाज से यथाशीघ्र गन्दी बस्तियों को निर्मुल कर दिया जाना चाहिए। सरकार तथा अन्य समाजसेवी संस्थाओं को आगे बढ़कर इनमें निवास करने वाले व्यक्तियों की आवासीय समस्याओं का समाधान करना चाहिए।

16. प्रोबेशन तथा पैरोल व्यवस्था को और अधिक उदार बनाना चाहिए तथा इस पद्धति से रिहा व्यक्तियों को समाज में पुनः संस्थापित करने के लिए सरकार और सामाजिक संस्थाओं को विशेष प्रयास करना चाहिए।
17. माता– पिता तथा अभिभावकों को भी अपने बच्चों के क्रिया–कलापों, दिनचर्या आदि पर विशेष ध्यान देना चाहिए क्योंकि व्यक्तिगत विकास में उनकी अति विशिष्ट भूमिका होती है।
18. लोगों में जन जागरण के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जाने चाहिए। जिनके माध्यम से अपराध की विभीषिका एवं परिणाम के बारे में जानकारी देना चाहिए।
19. ऐसे राजनेताओं के जो अपराध के संरक्षण प्रदान करते है, चुनाव में निर्वाचित नहीं होने देना चाहिए।
20. कारागारों में बन्दियों की संख्या निवास, व्यवस्था के आधार पर होनी चाहिए। अपराधियों को उनके द्वारा किये गये अपराधों की प्रकृति व गम्भीरता के आधार पर रखा जाना चाहिए।
21. अपराधियों की शिक्षा, विशेषतः नैतिक शिक्षा का विशेष प्रबन्ध होना चाहिए।
22. विद्यालयों /समाज में ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जिससे व्यक्ति नैतिक मूल्यों को ग्रहण कर सके।
23. जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण रखने तथा विपरीत परिस्थितियो में धैर्य बनाये रखने हेतु उत्प्रेरक कार्यक्रम/व्याख्यान आयोजित किये जायें जिससे व्यक्ति का मार्ग दर्शन तथा नैतिक विकास किया जा सके।
24. सरकार को राजनैतिक भ्रष्टाचार की समाप्ति के लिये भी एक कड़ा कानून बनाना चाहिए। वर्तमान राजनैतिक दलों में व्याप्त स्वार्थपरता, गुटबन्दी तथा दल–बदल भी विभिन्न प्रकार के अपराधियों के लिये उत्तरदायी माना जाता है।
25. सम्पूर्ण भारत में न्याय व्यवस्था को त्वरित और मितव्ययी बनाना चाहिए तथा न्यायालय को यह मानकर ही दण्ड प्रदान करना चाहिए कि प्रत्येक अपराधी परिस्थितिवश अथवा सामाजिक कारणों के फलस्वरूप ही अपराधी बनता है।
26. स्कूलों/कालेजों में शैक्षिक भ्रमण के कार्यक्रम आयोजित कर जीवन के सजीव तथा खुशनुमा पहलू से अवगत कराया जाना चाहिए।
27. सरकार द्वारा स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी समय–समय पर उपलब्ध करनी चाहिए। नियमित स्वस्थ्य परीक्षण हेतु स्थायी चिकित्सक की व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे उचित समय पर उपचार प्राप्त हो सके।
28. जनता द्वारा पुलिस के सहयोग में भागीदारी निभानी चाहिए।
29. देश में समभाव, सहचार्य एवं भाईचारे की भावना को बढ़ाने हेतु बुद्धजीवी वर्ग को अपने निजी स्वार्थ से ऊपर हटकर सोचना चाहिए।

संदर्भ सूची

1. अहूजा, राम, सोशियोलॉजीकल क्रिमिनोलॉजी, रावत पब्लिकेशन, जयपुर (2000)
2. आदिल, महेन्द्र सिंह, संगठित अपराध, पुलिस अुसंधान एवं विकास ब्यूरो, नई दिल्ली, 2005
3. सिंह रामगोपाल (2006), सामाजिक न्याय एवं दलित संघर्ष, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर पृ013
4. गुप्ता, राजेश (1994) डॉ. अंबेडकर और सामाजिक न्याय दिल्ली पृ0 64
5. शर्मा मंजू (2009) नारी के प्रति अत्याचार एवं मानवाधिकार मार्क प्रकाशन जयपुर पृ0 102
6. देवी, एस., राजनीति का अपराधीकरण, आई.जे.आर.ई.एस.एस. ,वा.–3, इश्यू–8, अगस्त, पृ. 60–63.(2013)
7. नाराणी, प्रकाशनारायण (2012) कन्या भ्रूण हत्या और महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा, बुक इनक्लेव, जयपुर पृ0 69
8. अखिलेश एस. (2014) भारत में नगरीय समाज, गायत्री पब्लिकेशन पृ0 172
9. www.crimeinindore.ac.in
10. www.crimebranchadata.in
11. www.youthcrime.ac.in
12. www.domesticviolence.ac.in